

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

27 JUN 2018

क्रमांक: प.2(31)नविवि/2017

जयपुर दिनांक :- 27-6-18

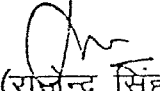
आदेश

राज्य में अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भ में आरक्षण पत्र दिये जाते हैं। इन आरक्षण पत्रों के आधार पर कुछ व्यक्तियों द्वारा भूखण्ड का विक्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में लीज डीड का निष्पादन होने में वैधानिक कठिनाईयां आती हैं।

काश्तकारों/केताओं के व्यापक हितों, योजना क्रियान्वति के अवरोध दूर करने व वादकरण कम करने के तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अवाप्तशुद्धा भूमि के बदले विकसित भूमि आवंटन के संबंध में जारी आरक्षण पत्र/आवंटन पत्र को यदि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय कर दिया है तो ऐसी स्थिति में 100/-रूपये (सौ रूपये) प्रति वर्गमीटर का शुल्क वसूल किया जाकर नाम हस्तान्तरण करने की कार्यवाही एक माह में करने हेतु एक बारीय छूट की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। यह आदेश उन्हीं हस्तान्तरणों व रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों पर लागू होगा जो यह आदेश जारी करने से पूर्व के हैं।

उक्त कार्यवाही आदेश जारी होने के एक माह में की जा सकेगी। उपरोक्तानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे। यह आदेश नींदड आवासीय योजना जयपुर के लिए पृथक से आदेश जारी होने के कारण उस पर लागू नहीं होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

 27/6/18
(राजेंद्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है-

- (1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- (2) विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज.जयपुर।
- (3) निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- (4) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (5) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (6) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (7) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (8) संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (9) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
- (10) सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
- (11) आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- (12) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (13) सलाहकार (टी.पी.), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (14) वरिष्ठ उपाय शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- (15) सलाहकार (विधि), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (16) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (17) रक्षित पत्रावली।

 27/6/18
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम